FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... तहसीलदार .... बनाम लादू

करम मुकदमा 115/19 .... नं. .... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26/8/19	प्रा०प० अ०धा० 136 RA के तहत ~~[illegible]~~ परोवाण सवाण तहसीलदार, बेगूं द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बाद जाँच प्रा०प० दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थी तहसीलदार, बेगूं मे दि० 28/8/19 को पेश हो। [signature]	
28/8/19	पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी तहसीलदार भूमि व्यक्ति [illegible] को सुना गया, प्रार्थी तहसीलदार पत्रावली में तहसीलदार ने बताया कि लादू बा/ट द्वारा एक आवेदन आया ने बताया कि लादूवार्ड M० उदा गुर्जर के नाम से आवेदन लादूवार्ड M० उदा गुर्जर के नाम से प्रस्तुत किया था, किन्तु आवेदन आदेश पटवारी हल्का द्वारा दिये जाते वक्त त्रुटिवश लादूवार्ड पिता उदा गुर्जर था, देह के नाम से दिये जाने के कारण नामान्तरण मे वक्त लादूवार्ड पिता उदा गुर्जर का भरा गया, पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त त्रुटि को धारा 136 RAct मे सुधारे जाने का आदेश फरमावें। इसमे पत्रावली मे संलग्न नकल जमाबंदी, आवेदन फार्म की सत्यप्रति, नकल नामान्तरण व प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सरासर आवेदी लादूवार्ड पिता उदा गुर्जर का नाम होने मे आवेदी लादूवार्ड पिता उदा गुर्जर का देह शुद्ध किया जाना लादूवार्ड पति उदा गुर्जर हम उचित समझते है। अतः प्रा०प० अ०धा० 136 RA का स्वीकार किया जाता है, मौजा काछन्दा की अ० ह० 1097/9 रकबा 0.81 है० भूमि मे खातेदार लादूवार्ड पिता उदा गुर्जर के स्थान पर लादूवार्ड पति उदा गुर्जर सा० देह का नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। किन्तु आदेश प्रपत्र से लिख जावाब दिया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद त० [illegible] रिकार्ड मे जमा हो। [signature]	

[signature] 28/8/19
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
(निम्बाहेड़ा)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या :: 115/2019

तहसीलदार (भूमिधारी) बेगूँ तहसील, बेगूँ
प्रार्थी

बनाम

लाडू पिता उदा गुर्जर निवारी काटून्दा
तहसील, बेगूँ विपक्षीया

उपस्थित :: तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 28.08.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) बेगूँ द्वारा जरिये पत्रांक 786 दिनांक 10.07.2019 से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि प्रार्थीया को ग्राम काटुन्दा की आराजी संख्या 1097/9 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि मि.नं. 171/98 से आवंटन होकर नामा0सं0 1225 दिनांक 13.09.98 से गैरखातेदारी में दर्ज हुई एवं वर्तमान जमाबन्दी में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। संलग्न पर्चामौका अनुसार आवंटित भूमि पर लाडुवाई पति उदा गुजर सा. काटुन्दा का ही कब्जा काश्त है। इस नाम की अन्य कोई महिला ग्राम काटुन्दा में नहीं है। जिसको की यह भूमि आवंटन हुई है। प्रार्थीया ने आवंटन हे आवेदन किया उसमें लाडुवाई पति उदा गुजर के नाम से किया था परन्तु आवेदन आदेश लाडूवाई पिता उदा गुजर के नाम से जारी होने से उक्त त्रुटि हुई जो वर्तमान रेकार्ड में भी चली आ रही है।

अतः पर्चा मौका एवं रेकार्ड के आधार पर लाडु पिता उदा गुजर के स्थान पर लाडु पति उदा गुजर दुरूस्त किया जाने की अनुशंषा की जाती है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार भूमिधारी को सुना गया तथा पत्रावली में रिपोर्ट पटवारी हल्का काटुन्दा दिनांक 10.07.2019 का अवलोकन किया गया, रिपोर्ट में अंकन किया हुआ है कि प्रार्थीया को ग्राम काटुन्दा में आराजी नम्बर 1097/9 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि मि0नं0 171/98 दिनांक 12.5.98 से आवंटन हुई थी जो ना0सं0 1225/13.09.98 से गैरखातेदारी हक से दर्ज हुई एवं वर्तमान रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज है।

पर्चा मौका अनुसार आवंटित भूमि पर लाडूबाई पत्नि उदा गुर्जर सा. काटुन्दा का ही कब्जा काश्त है एवं इस नाम की अन्य कोई महिला ग्राम काटुन्दा में नहीं है जिसको की यह भूमि आवंटन हुई हो। प्रार्थीया ने आवंटन हेतु आवेदन किया उसमें लाडूबाई पत्नि उदा गुर्जर के नाम से किया था परन्तु आवंटन आदेश लाडूबाई पिता उदा गुर्जर के नाम से जारी होने से उक्त त्रुटि हुई जो वर्तमान रेकार्ड में भी चली आ रही हैं। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया छायाप्रति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्ड में लाडू पति का नाम उदयलाल का अंकन किया हुआ है, भामाशाह कार्ड में भी लाडूबाई पति उदयलाल का नाम अंकित है। आवंटन आवेदन पत्र की प्रमाणित नकल का अवलोकन किया जाने पर पाया कि आवेदन पत्र लाडू पत्नि उदार गुर्जर के नाम से आवेदित किया गया था जबकि पटवारी को जारी आवंटन कब्जा देने का आदेश लाडू पिता उदा गुर्जर केनाम से जारी किया गया है आवंटन आदेश जारी किये जाने में पति की जगह पिता का अंकन किये जाने की त्रुटि होना सिद्ध है। साथ ही पत्रावली में प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 1225 के अवलोकन से पाया कि आराजी संख्या 1097/5 रकबा 5बीघा भूमि का आवंटन लाडू पिता उदा गुर्जर सा.देह गैरखातेदार के नाम से भरा गया किन्तु नामान्तरण भरते

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ़)

Scanned by CamScanner

वसमय लाडू पत्नि उदा गुंजर भरकर पत्नि को काटते हुए पिता का अंकन किया गया है। नकल जमाबंदी मौजा काटून्दा सं. 2072 से 75 के अवलोकन से पाया गया कि आराजी संख्या 1097/9 रंकवा 0.81 हैक्टर भूमि श्री लाडू पिता उदा गुर्जर सा.देह खातेदार रहन ब.रा.ग्रा.बैंक शाखा बिछोर के नाम से जारी है।

इस प्रकार पत्रावली में समस्त दस्तावेज का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि ग्राम काटुन्दा की आराजी संख्या 1097/9 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि जो कि लाडूबाई पत्नि उदा गुंर्जर सा.देह के नाम से अंकित होनी चाहिए थी वह लिपकीय त्रुटिवश लाडू पिता उदा गुजर जारी किया गया है, जो धारा 136 एल.आर.एक्ट में सुधार किया जाना हम न्याय संगत समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मौजा काटून्दा आराजी संख्या 1097/9 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि में खातेदार लाडूबाई पिता उदा गुर्जर के स्थान पर लाडूबाई पत्नि उदा गुर्जर सा.देह खातेदार का नाम अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश प्रति तहसीलदार, बेगूं को पालनार्थ दी जावें।

आदेश आज दिनांक 28.08.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

28/8/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner